लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/74/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 05.10.2017

श्री राकेश कुमार पिता शंकरलाल खटीक निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.08.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 74/2017/(31.10)/756 दिनांक 04.10.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.10.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 31.10.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1548 दिनांक 13.10.2017 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि प्रार्थी श्री राकेश कुमार पिता शंकरलाल खटीक निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2017 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1601 दिनांक 06.09.2017 को प्रार्थी प्रार्थना पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/सू.का अधि./2017/21 दिनांक 09.10.2017 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न है।
4. यह है कि प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1548 दिनांक 13.10.2017 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना/प्रतिलिपियां सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/सूचना का अधिकार/2017/21 दिनांक 09.10.2017 (रजिस्टर्ड) से निः शुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना/प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./74/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017
प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राकेश कुमार पिता शंकरलाल खटीक निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)